भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

No.DCI/Admission/Admsn/BDS/Gen/999/2024-25/2024/7971 दिनांक: 19-11-2024

Public Circular

विषय: **बीडीएस पाठ्यक्रम के शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दंत महाविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु Uploading the details of students admitted in BDS Course at Dental Colleges for the academic session 2024-25, on DCI Website**

महोदया/महोदय,

Madam/Sir,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एमसीसी (Medical Counselling Committee) ने शैक्षणिक वर्ष 2024 के लिए स्पेशल शैड्यूल जारी किया है (डीसीआई वेबसाइट पर उपलब्ध है) जो अखिल भारतीय कोटा / डीम्ड / सेंट्रल यूनिवर्सिटिज व राज्य कोटा की बीडीएस सीटों के लिए जारी किया गया है । एमसीसी ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए **ऑल इंडिया कोटा/ डीम्ड / सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 30 नवंबर, 2024** व **राज्य काउंसिलिंग हेतु ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि 05 दिसम्बर, 2024** घोषित की है।

2. तदनुसार, कॉलेज प्राधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे अकादमिक सत्र् 2024-25 के लिये अपने दंत संस्थान में बीडीएस पाठ्यक्रम में दाखिला लेने वाले छात्रों का विवरण भारतीय दंत परिषद की वेबसाइट पर (https://portal.dciindia.gov.in/login), अपने पूर्व आवंटित लॉगिन आई॰डी॰ व पासवर्ड का उपयोग करके, दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 (मध्य रात्रि 12.00 बजे) तक या इसके पूर्व अवश्य ही अपलोड कर दें। अगर कोई दन्त महाविद्यालय निर्धारित अंतिम तारीख जो कि 05 दिसम्बर, 2024 (मध्य रात्रि 12.00 बजे) के बाद किसी भी दाखिले का दावा करता है तो उसके विरुद्ध, दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10बी और/या दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 16ए (स्थिति अनुसार) के तहत कार्यवाही की जाएगी। ऐसे छात्र / छात्रों जिनका विवरण भारतीय दंत परिषद की वैबसाइट पर अपलोड नहीं किया है, उनके लिये यह माना जाएगा कि अकादमिक सत्र् 2024-25 के बीडीएस पाठ्यक्रम में कॉलेज प्राधिकारियों ने अपने कॉलेज में ऐसे किसी छात्र को दाखिला नहीं दिया है।

2.1. प्रत्येक दन्त संस्थान काउंसिलिंग के प्रत्येक दौर में छात्र के ज्वाइनिंग तिथि के तुरंत बाद, छात्रों के विवरण किसी भी परिस्थिति में, डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड करने का प्रयास करें, जिससे कट-ऑफ तिथि के अंतिम क्षणों में, छात्रों के विवरण की अपलोडिंग सुचारू रूप से सुनिश्चित हो सके और नेटवर्क पर अनावश्यक देरी, अनुचित दबाव और तकनीकी खराबी से बचा जा सके। दूसरे शब्दों में, कॉलेज कट-ऑफ तिथि (05 दिसम्बर, 2024) के अंतिम क्षणों में अपने छात्रों के विवरण अपलोड करने की प्रतीक्षा न करें और काउंसलिंग के प्रत्येक दौर के बाद कॉलेज अपने छात्रों का विवरण डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड कर दें।

2.2. इसके अलावा, यह ध्यान में आया है कि कुछ डेंटल कॉलेज उन छात्रों का विवरण अपलोड करते हैं, जो

उनके कॉलेज में दाखिला नहीं लेते हैं, जिसके कारण जिस कॉलेज में छात्र ने वास्तव में दाखिला लिया है, वह कॉलेज उस छात्र का विवरण अपलोड करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिये, कॉलेजों को एतद्वारा सख्त चेतावनी दी जाती है कि वे अपने कॉलेज के केवल वास्तविक दाखिलों का विवरण अपलोड करें एंव सही तथा प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी संबंधित कॉलेज पर है और किसी भी गलत / अधूरी जानकारी को प्रस्तुत करने के मामले में, डीसीआई ऐसे कॉलेज के खिलाफ कार्रवाई शुरू या दंडित कर सकता है।

2.3. केवल डीसीआई पोर्टल पर अपलोड किए गए बीडीएस छात्रों का विवरण ही राज्य दंत परिषदों / ट्रिबुनल्स को उनकी बीडीएस डिग्री पंजीकरण के लिए अग्रेषित किया जायेगा।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि डीसीआई वेबसाइट पर छात्रों के केवल अपलोड किए गए विवरणों पर ही विचार किया जाएगा और किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त छात्रों के किसी भी विवरण जैसे कि ई-मेल या लिखित प्रति पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए, आपसे अनुरोध है कि आपके द्वारा ई-मेल या डाक के माध्यम से छात्रों का कोई विवरण न भेजा जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि छात्रों के उपर्युक्त विवरण अपलोड करने के लिए समय सीमा को बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध, किसी अन्य कारण, तकनीकी गड़बड़ी का बहाना अथवा किसी अन्य बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि अपने स्तर पर, समय से, इस कार्य को पूर्ण करने के लिए सभी प्रकार के प्रबंध करें, जिससे किसी भी प्रकार के विधिक विवाद से बचा जा सके और परिषद इस मामले में समयबद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सके। 4. यदि उपरोक्त संदर्भ में कोई कठिनाई होती है तो आप तकनीकी सहायता हेतु भारतीय दंत परिषद को secy-dci@nic.in अथवा दूरभाष 011-40194297 पर संपर्क कर सकते हैं।

5. सभी संबंधित सक्षम प्राधिकरणों से अनुरोध है कि कृपया वे यह सुनिश्चित करें कि कॉलेज प्राधिकारी उपरोक्त निदेशों का पूर्णता से अनुपालन करें।

6. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

I am directed to say that as per Special Schedule issued by the MCC (available on DCI Website) for Counseling for AIQ / Deemed / Central Universities & State Quota seats for BDS Course for the academic year – 2024, the MCC has declared **the last date for joining the BDS Course as 30th November, 2024 for AIQ / Deemed / Central Universities** and **5th December, 2024 for State Counseling** for the academic session 2024-25.

2. Accordingly, the college authorities of all dental colleges are hereby directed to upload the details of students, admitted in BDS Course at their dental institution for the academic session 2024-25, on DCI Website, using their already allotted login credentials for admissions (https://portal.dciindia.gov.in/login), on or before the last date of joining i.e. 5th December, 2024 (12:00 midnight), positively. If the college authorities claim any admission after 12:00 midnight of 5th December, 2024, then Section 10B of the Dentists (Amendment) Act, 1993 and/or Section 16A of the Dentists Act, 1948, as the case may be, shall be attracted and it shall be presumed that the college authorities have not admitted such student(s) in BDS Course at their college for the academic session 2023-24.

2.1. In order to ensure smooth uploading the details of students and to avoid the unnecessary delay, undue pressure and technical fault on network, in uploading the details of the students at the last moment of cut-off date, each and every dental institutions shall make its efforts to upload the details of students gradually, immediately after the date of joining of student of each round of counseling, but not later than 12.00 Midnight of 5th December, 2024, in any circumstance. In other words, the college shall not wait for uploading the details of its students for last moment of cut-

off date and the details would be uploaded by the college after each round of counseling.

2.2 Moreover, it has come to notice that some dental colleges upload the details of students who are not admitted in their college, because of which the college where the student has actually taken admission is unable to upload the details. Colleges are hereby strictly warned to upload the details of only the genuine and bonafide admissions of their college. The onus of furnishing true, correct and authentic information is upon the college concerned and in case of furnishing any wrong / incorrect information, it shall be open to DCI to initiate action against / penalize the college.

2.3 Only the uploaded details of students on DCI portal shall be forwarded to the State Dental Councils / Tribunals for registration of BDS degree.

3. It is also to inform you that only uploaded details of students on DCI Website shall be considered and any detail of students received in any other format viz. e-mail or hard copy shall not be considered at all, therefore, you are requested not to send the subject details through e-mail or post or any other mode. It is also stated that no request for extension of time to upload the above details of students or any other excuse or reason of technical fault, etc. shall be considered, therefore, you are again requested to ensure and make available all arrangements at your end to complete the above task, in time, so as to avoid any litigation and to enable this Council to take necessary action in a time bound manner.

4. In case of any difficulty, you may contact DCI for technical support at secy-dci@nic.in or call on 011-40194297.

5. All the concerned competent authorities are requested to kindly ensure that the college authorities to comply with the above stipulations in totality.

6. This issues with approval of the competent authority.

MUKESH KUMAR
Digitally signed by MUKESH KUMAR
Date: 2024.11.19 17:24:07 +05'30'

मुकेश कुमार (Mukesh Kumar)
उप सचिव
भारतीय दंत परिषद

To,

All Principal BDS Colleges. (via Email)

Copy to:-

1. The Secretary to the Govt.of India, (via Email)
Ministry of Health and Family welfare,
Nirman Bhawan,
Maulana Azad Road,
New Delhi, Delhi - 110011.
dentaledu-mohfw@gov.in

2. The Assistant Director(Technical Education) . (via Email)
UT Administration Of Daman and Diu,
Government Polytechnic, Varkund, Mota Falia,
Daman, Daman and Diu - 396210.
pers.dd@nic.in

3. All Health Secretary of States. (via Email)

4. All Director of DME. (via Email)

5. All Universities. (via Email)

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष, भारतीय दंत परिषद, नई दिल्ली
2. Website/Server Section
3. Act Regulations and Policy Matters Section
4. Legal Section